उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 427 -काविनी एवं वे0प्र0-29 / पाकालि / 2010 - 08 काविनी / 2001 दिनांक 29 अप्रैल, 2010

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-। एवं ।।),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

विषयः- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स-2004 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समस्त वेतन पुनरीक्षण अवशेषों तथा महँगाई भत्ते की अवशेष राशि से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान जमा किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स-2004 के अन्तर्गत कार्मिकों/नियोक्ता से नियमित अंशदान जमा किये जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1274-पी एण्ड आर/28/पाकालि/2004-8 काविनी/01 दिनांक 18.06.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं कि दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स-2004 के नियम-30 के प्राविधानों के अनुसार अंशदान मूल वेतन का न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा नियम-32 के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान दिनांक 01.04.2004 से इसी समान दर पर पावर कारपोरेशन द्वारा ट्रस्ट को भुगतान किया जायेगा।

2. अग्रतर, इसी अनुक्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-589-काविनी/पाकालि-29/07-8 काविनी/2001 दिनांक 20.09.2007 सपठित स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप सं0-785-काविनी-29/पाकालि/2007-8 काविनी/2001 दिनांक 18.10.2007 द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों का सी0पी0एफ0 अंशदान मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत होगा तथा नियोक्ता का अंशदान कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स-2004 के नियम-32 के प्राविधानानुसार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत होगा। इस आदेश द्वारा यह भी प्राविधानित है कि यह व्यवस्था दिनांक 01.09.2007 से प्रभावी होगी तथा इस योजना का कोई पूर्वगामी लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3. उक्त प्रस्तर-01 एवं 02 द्वारा लागू व्यवस्थाओं के संदर्भ में कारपोरेशन की विभिन्न आहरण एवं वितरण इकाईयों द्वारा यह स्पष्ट कराये जाने का अनुरोध किया गया है कि दिनांक 01.01.06 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण अवशेष तथा पूर्व अवधि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अवशेष राशि से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान यथा निर्धारित तिथियों पर कार्मिकों के अंशदायी भविष्य निधि खातों में जमा किये जाने की प्रक्रिया किस प्रकार निर्धारित की जायेगी।

उपरोक्त के संबंध में मुझे निम्नवत् स्पष्ट करने का निर्देश है :-

1- कार्यालय ज्ञाप सं0-1274-पी एण्ड आर/28/पाकालि/2004-8 काविनी/01 दिनांक 18.06.2004 में यथा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.06 से वेतन पुनरीक्षण अवशेषों से सम्बन्धित

(क्रमशः .... 2)

कर्मचारियों के सी०पी०एफ० खाते में यथा निर्धारित तिथियों पर अंशदान जमा किये जाने की दर मूल वेतन का न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा नियोक्ता का अंशदान भी इसी समान दर पर आगणित किया जायेगा।

2- उपरोक्त आदेशों के आंशिक संशोधन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 589–काविनी/पाकालि–29/07–8काविनी/01 दिनांक 20.09.2007 सपठित स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप सं० 785–काविनी–29/पाकालि/07–8काविनी/2001 दिनांक 18.10.2007 में यथा निर्धारित किये गये प्राविधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में समस्त वेतन पुनरीक्षण अवशेषों तथा महंगाई भत्ते की अवशेष राशि से कर्मचारियों एवं नियोक्ता का अंशदान जमा किये जाने की दर दिनांक 01.09.2007 से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत होगा।

3- दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य सम्बन्धित वेतन बैण्ड में निर्धारित वेतन तथा उसके सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–वेतन से है।

अस्तु, अनुरोध है कि सम्बन्धित मामलों में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मो० राशिद)
संयुक्त सचिव (काविनी)

सं0 427 -(1) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
7- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा०का०लि०/उ0प्र0 पा०ट्रां०का०लि०।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
14- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लॉईज ट्रस्ट, शक्ति भवन लखनऊ।
15- मुख्य प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जॉपलिंग रोड, लखनऊ।
16- अध्यक्ष,विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0, 103 कीर्ति शिखर अपॉर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, स्टेशन रोड, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)
संयुक्त सचिव (काविनी)